भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *90

दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष

***90. डॉ. सुजय विखे पाटील:**

डॉ. कृष्णपालसिंह यादव:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ) का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित देश में ऐसे गांवों की संख्या राज्य-वार कितनी है, जहां के दुग्ध उत्पादकों के लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा डेयरी क्षेत्र को दिए गए ऋणों पर ब्याज अनुदान या सब्सिडी का प्रतिशत कितना है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

13 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिये जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 90 "डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीएफ)" के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबन्धित विवरण

(क) डीआईडीएफ को दिसम्बर 2017 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य राज्य सहकारी और कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत डेयरी सहकारी समितियों, बहु राज्य डेयरी सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी), एनडीडीबी की सहायक कंपनियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादकों संगठनों (एफपीओ) के लिए 11,184 करोड़ रु. (ऋण घटक 8004 करोड़ रु.) के कुल परिव्यय के साथ दुग्ध प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और प्रशीतन सुविधाओं का सृजन/सुदृढ़ीकरण करना है। उपरोक्त के अलावा, योजना की प्रगति की समीक्षा करने के बाद, डीआईडीएफ के तहत निम्नलिखित घटकों को शामिल किया गया है:

i. गोपशु आहार/आहार सप्लीमेंट्स संयंत्र
ii. दूध ढुलाई प्रणाली (रेफर वैन/इंसुलेटेड टैंकर्स आदि)
iii. विपणन अवसंरचना (ई-मार्केट प्रणाली, बल्क वेंडिंग प्रणाली, पार्लर, डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज आदि, वस्तु और गोपशु चारा गोदाम सहित)
iv. आईसीटी अवसंरचना (अर्थात ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी, सर्वर्स, आईटी सोल्यूशन्स, नियर रियल टाइम डिवाइस आदि)
v. आर एंड डी (प्रयोगशाला और उपकरण, नवीन प्रौद्योगिकी, नवाचार, उत्पाद विकास आदि)
vi. नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना/संयंत्र, ट्राइजेन/ऊर्जा दक्षता अवसंरचना
vii. डेयरी उद्देश्यों के लिए पेट बोतल/ पैकेजिंग सामग्री विनिर्माण यूनिट
viii. प्रशिक्षण केंद्र (सिविल और अन्य आवश्यक अवसंरचना के साथ पूर्ण)।

(ख) लगभग 50,000 गांवों में 95,00,000 किसानों के लाभान्वित होने का लक्ष्य है। दिनांक 31.10.2022 तक, परियोजना क्षेत्रों में 45.89 लाख उत्पादक सदस्यों को लाभान्वित करने के लक्ष्य के साथ 38,830 गांवों को कवर करते हुए 12 राज्यों की 36 परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई थी, जिसमें से, 26060 गांवों के 26.90 लाख उत्पादक सदस्य लाभान्वित हुये हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कवर किए गए गांवों और लाभान्वित हुए उत्पादक सदस्यों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है। आज की तिथि तक योजना के तहत उत्तर प्रदेश से कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) भारत सरकार योजना के तहत पात्र ऋण पर 2.5% का ब्याज सब्वेंशन प्रदान करती है। दिनांक 31.10.2022 तक, इस विभाग द्वारा ब्याज सबवेंशन के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को 79.59 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

****

अनुबंध

दिनांक 31.10.2022 तक डीआईडीएफ के तहत कवर किए गए गांवों और उत्पादक सदस्यों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	कुल परियोजनाएं	कवर किए गए गांव (000)		उत्पादक सदस्य (000)	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
एनडीडीबी की परियोजनाएं						
1	आंध्र प्रदेश	1	0.91	0.85	122.00	119.00
2	बिहार	1	1.40	1.24	212.60	180.12
3	गुजरात	3	9.14	8.79	783.44	799.22
4	हरियाणा	2	0.93	0.92	58.36	56.62
5	कर्नाटक	9	11.28	6.51	1646.98	1124.52
6	केरल	1	0.93	0.00	302.00	0.00
7	महाराष्ट्र	1	3.11	3.10	210.22	199.74
8	पंजाब	4	3.46	3.41	230.44	145.52
9	राजस्थान	1	1.01	1.06	58.00	42.42
10	तेलंगाना	3	1.10	0.20	73.30	22.94
11	तमिलनाडु	4	2.57	0.00	705.90	0.00
कुल		**30**	**35.83**	**26.06**	**4403.24**	**2690.10**
एनसीडीसी की परियोजनाएं						
1	तमिलनाडु	5	0.70	0.00	104.00	0.00
2	मध्य प्रदेश	1	2.30	0.00	82.56	0.00
	कुल	**6**	**3.00**	**0.00**	**186.56**	**0.00**
सकल योग		**36**	**38.83**	**26.06**	**4589.80**	**2690.10**